

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौषिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-389/2025

प्रदीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी लिलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

-वादीगण

बनाम

1. संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. विमला देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
3. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ ।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्दा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री परमजीत कोर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- तहसील संगरिया के चक न 3 एल.एल.डब्ल्यू के ज.स. 2072-2075 के खाता स 81/9 मे वादी को 0.253 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे व इसी चक के खाता स 139/82 मे प्रतिवादी स 1 का 0.506 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम किया जावे व तहसील हनुमानगढ के चक न 5 एल.एल.डब्ल्यू ज.स. 2076-2079 खाता स 20/16 मे वादी को 1.771 है का प्रति स 1 को 2.150 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन किया जावे एव इसी चक के खाता स 133/118 मे वादी 0.051 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रति स 2 का नाम कलमजन किया जावे व इसी चक के खाता स 73/59 मे वादी को 0.506 है व प्रतिवादी स 1 को 0.759 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन किया जावे इसी चक के खाता स 67/67 मे प्रतिवादी स 2 को 0.759 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम किया जावे व इसी चक के खाता स 134/67 मे प्रतिवादी स 2 को 1.771 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

(क) वादी प्रदीप कुमार के हक व हिस्सा की भूमि

चक न 3 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 81/9

प.न	मु.न	कि.न	
148/216	24	8/0.253 है,	कुल-0.253 है

चक न 5 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 20/16, 133/118, 73/59

147/214	3	16/0.114 है, 17/0.051 है,	24, 25/0.253 है प्रत्येक
---------	---	---------------------------	--------------------------

148/214	4	20/0.139 है, 21/0.253 है	
---------	---	--------------------------	--

148/215	5	1, 10, 20, 21/0.253 है	प्रत्येक कुल-2.328 है
---------	---	------------------------	-----------------------

(ख) प्रतिवादी स 1 संदीप कुमार के हक व हिस्सा की भूमि

चक न 3 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 139/82

148/217	25	9, 10/0.253 है	प्रत्येक कुल-0.506 है
---------	----	----------------	-----------------------

चक न 5 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 20/16, 73/59

148/214	4	13/0.063 है, 14/0.076 है,	17, 18/0.253 है प्रत्येक
---------	---	---------------------------	--------------------------

		19/0.240 है, 22, 23, 24/0.253 है	प्रत्येक
--	--	----------------------------------	----------

148/215	5	9, 12, 13, 18, 19/0.253 है	प्रत्येक
---------	---	----------------------------	----------

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(ग) प्रतिवादी स 2 विमलादेवी के हक व हिस्सा भूमि

चक न 5 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 134/67.67/67

147/216

13

25/1/0.228 है, 25/2/0.025 है गो.मु.रा

148//217

14

4/0.253 है, 5/1/0.228 है, 5/2/0.025 है. गो.मु.रा

6/1/0.228 है, 6/2/0.025 है गो.मु.रा

7.14/0.253 है प्रत्येक 15/1/0.228 है

15/2/0.025 है गो.मु.रा, 16/1/0.228 है

16/2/0.025 है गो.मु.रा, 17/0.253 है, 25/1/0.228 है.

25/2/0.025 गो.मु.रास्ता कुल-2.530 है मय गो.मु.

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

मिज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

\*बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.8.2011 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक जज एवं  
उपखण्ड उच्च न्यायालय, संगरिया

